



माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF GOODS & SERVICES TAX (GST)
एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद - 431003
N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD - 431003
फोन/PHONE: 0240-2484975 फैक्स/FAX : 0240-2483303
वेबसाइट/Website: <http://www.centralexcisaurangabad.gov.in> ई-मेल/E-Mail: ceaurang@excise.nic.in

व्यापारी सूचना नं. 07 / 19-20 दिनांक 17/ 07 / 2019

विषय:- Advisory for Bill of Supply issued by composition taxable person – reg.

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त Advisory for Bill of Supply issued by composition taxable person संलग्न की है।

सभी संबंधित संगठनों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र की जानकारी अपने सभी सदस्यों, निर्माताओं और व्यापारियों को दें ।

फा. सं. VGN (30) 05 / Trade Notice / 19-20
औरंगाबाद दिनांक 17 / 07 / 2019

वि.सि.प
17/7/19
(के.वी.एस.सिंह)
आयुक्त

प्रतिलिपि प्रेषित :- मुख्य आयुक्त, माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) नागपूर
:- उप/सहायक आयुक्त, सभी मंडल प्रभारी, उप आयुक्त (संगणक अनुभाग)
:- डाक सूची के अनुसार



कम्पोजिशन कर-देय व्यक्ति द्वारा जारी किए गए आपूर्ति बिल (Bill of Supply) के लिए सलाह


सी.जी.एस.टी नियमों 2017 के नियम 5, कर-देय व्यक्ति को सी. जी. एस. टी अधिनियम 2017 की धारा 10 के अंतर्गत कर अदा करने के विकल्प में कम्पोजिशन कर भरने के लिए शर्तें तथा प्रतिबंध लगाता है। इस नियम के अंतर्गत उपनियम 5 (एफ) एवं 5 (जी) कहता है कि :

(एफ) वह उसके द्वारा जारी किए गए आपूर्ति बिल के शीर्ष पर इन शब्दों को लिखे, "कम्पोजिशन कर-देय व्यक्ति, आपूर्ति पर कर संग्रह करने के लिए पात्र नहीं है; और

(जी) वह उसके प्रमुख व्यापार स्थल पर और व्यापार के अन्य प्रत्येक स्थान या स्थानों पर प्रदर्शित किए गए प्रत्येक सूचना और साइन बोर्ड पर इन शब्दों को लिखे "कम्पोजिशन कर-देय व्यक्ति"

2. अतःएव यह सलाह दी जाती है कि कम्पोजिशन कर-देय व्यक्ति ने उसके द्वारा जारी किए गए प्रत्येक आपूर्ति बिल पर इन शब्दों को मुद्रित करें, "कम्पोजिशन कर-देय व्यक्ति आपूर्ति पर कर-संग्रह करने के लिए पात्र नहीं है" । (बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में) तथा उन्होंने उनके प्रमुख व्यवसाय स्थल पर तथा व्यापार के अन्य स्थान या स्थानों पर प्रदर्शित किए सूचना (Notice) तथा साइन बोर्ड पर यह उल्लेख करना चाहिए। "कम्पोजिशन कर-देय व्यक्ति" (बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में) ।

3. यदि कम्पोजिशन कर-देय व्यक्ति सी.जी.एस.टी. नियमों के नियम 5 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो सक्षम अधिकारी जी.एस.टी नियम के तहत उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है। यह भी ध्यान रखे कि सी.जी.एस.टी अधिनियम 2017 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड, जुर्माना या मामले अनुसार अभियोग लगाया जा सकता है।


(के.वी.एस.सिंह)
आयुक्त